न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
....	....	....	....
25/2022	दावा 88, 91 RTA	25.02.2022	27.01.2023

जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी बउम्र 74 वर्ष निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू

—वादी—बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. पवनसिंह अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि वादी की खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 271, खसरा संख्या 122 तादादी 5.6403 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 तादादी 2.9719 हैक्टेयर, खसरा सं. 124 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरा 4 तादादी 11.9002 हैक्टेयर में से 3/16 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का रोही मौजा घांघू, पटवार हल्का घांघू, भू.अ.नि. क्षेत्र सिरसला में स्थित है।

वादगत कृषि भूमि मौहम्मद सलीम पुत्र मौहम्मद आमीन जाति व्यौपारी निवासी राजगढ जिला चूरू व वादी जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1996 को उक्त कृषि भूमि के पूर्व मालिक कैलाशचन्द्र पुत्र भोमराज से उसका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद किया था और उसी समय विक्रेता ने वादी व अन्य सहाक्रेता को खरीदशुदा कृषि भूमि का कब्जा—काश्त सौंप दिया था वादी तब से अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी एक अनपढ ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है तथा उसका बोलचाल का नाम अब्दुल सतार होने की वजह से विक्रय पत्र व राजस्व रिकॉर्ड में वही नाम दर्ज हो गया था जबकि वास्तव में वादी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों में जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू है और यही नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार का राशनकार्ड, पासपोर्ट, जनआधार कार्ड तथा वादी की अन्य कृषि भूमि जो उसे विरासतन प्राप्त हुई है आदि समस्त दस्तावेजातों में दर्ज है। वादी की अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि में सन 2017 तक के राजस्व रिकॉर्ड में यही नाम चला आ रहा था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:07 IST
Reason: SelfAttested

साथ–साथ उसके पिता का नाम व पता भी राजस्व कर्मचारियों की सहवन से लिपिकिय भूल से चेंज हो गया है जिसे दुरूस्त करवने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वादी जीवन अली के पिता रमजान के अब्दुल सतार नाम से कोई संतान नहीं है। वादी का समस्त सरकारी रिकॉर्ड में जीवन अली ही नाम है तथा वादी का बोलचाल का नाम अवश्य ही अब्दुल सतार था जिसके आधार पर वादी का नाम गलती से व बोलचाल का नाम अब्दुल सतार होने की वजह से विक्रय पत्र व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वहीं नाम दर्ज हो गया था जबकि वास्तव में वादी का सही दसतावेजी नाम जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू है और यही नाम वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार का राशनकार्ड , पासपोर्ट, जनआधार कार्ड, वादी की अन्य कृषि भूमि जो उसे विरासेतन प्राप्त हुई है आदि समस्त सरकारी दस्तावेजातों में दर्ज है। वादी अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि में सन 2017 तक के राजस्व रिकॉर्ड में यही नाम चला आ रहा था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ–साथ उसके पिता का नाम व पता भी राजस्व कर्मचारियों की सहवन से, लिपिकिय भूल से चेंज हो गा है तथा वादी का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार नाम, पिता का नाम, पता, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह कि वादी जीवन अली का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलती से अब्दुल सतार पुत्र मौहम्मद आमीन जाति व्यौपारी निवासी राजगढ होने की वजह से वह कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है वह प्रधान मंत्री किसान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, व सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है इस वजह से वादी को काफी आर्थिक नुकासान हो रहा है जिसकी वजह से वादी मानसिक रूप से परेशान रहने लगा है।

वादी ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार महोदय चूरू से सम्पर्क किया तो पहले वे टालमटोल करते रहे, अंत में दिनांक 14.04.2022 को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करने में असमर्थता जाहिर करते हुए इंकार कर दिया। लिहाजा यहीं इंकारी की तारीख बिनाय मुखासमत दावा है तथा इस कृषि में वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से वादी को दावा लाने का अधिकार हासिल है।

दावा में तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन उन्हीं के माध्यम से होना है। राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके हितों पर वितपीत प्रभाव पड़ता हो। इसलिए दफा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस दिये बगैर ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादगत कृषिभूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल है तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है की वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खाता संख्या नया–271 व पुराना–254 खसरा संख्या 122 तादादी 5.6403 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 तादादी 2.9719 हैक्टेयर, खसरा संख्या 124 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नं. 48 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरा 4 तादादी 11.9002 हैक्टेयर में से 3/16 हिस्सा संयुक्त खातेदारी की रही मौजा घांघू, पटवार हल्का घांघू ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:07 IST
Reason: SelfAttested

भू.अ.नि. क्षैत्र सिरसला निवासी वार्ड संख्या 09 राजगढ के स्थान पर जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू अंकन किया जावे तथा इसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे तथा इसी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए तत्पश्चता तहसीलदार चूरू सें जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। वादी ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर बयान दिये जिन्हे लेखबद्ध कर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से वादी के भाई की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया । पैरोकार राज ने साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किया इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया जाकर वकील वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत वादगत कृषि भूमि मौहम्मद सलीम पुत्र मौहम्मद आमीन जाति व्यौपारी निवासी राजगढ जिला चूरू व वादी जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1996 को उक्त कृषि भूमि के पूर्व मालिक कैलाशचन्द्र पुत्र भोमराज से उसका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद किया था और उसी समय विक्रेता ने वादी व अन्य सहाक्रेता को खरीदशुदा कृषि भूमि का कब्जा–काश्त सौंप दिया था वादी तब से अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी एक अनपढ ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है तथा उसका बोलचाल का नाम अब्दुल सतार होने की वजह से विक्रय पत्र व राजस्व रिकॉर्ड में वही नाम दर्ज हो गया था जबकि वास्तव में वादी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों में जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू है और यही नाम पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार का राशनकार्ड, पासपोर्ट, जनआधार कार्ड तथा वादी की अन्य कृषि भूमि जो उसे विरासतन प्राप्त हुई है आदि समस्त दस्तावेजातों में दर्ज है। वादी का अपनी खरीदशुद कृषि भूमि में सन 2017 तक के राजस्व रिकॉर्ड में यही नाम चला आ रहा था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ–साथ उसके पिता का नाम व पता भी राजस्व कर्मचारियों की सहवन से लिपिकिय भूल से चेंज हो गया है अतः इसे दुरुस्त करवाने का आदेश फरमावें। है। पैरोकार राज चूरू ने यदि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जाने पर अनापति जाहिर की है तथा रिपोर्ट पटवार हल्का घांघू व तहसीलदार चूरू के जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी मदरसे के पास घांघू व अब्दुल सतार एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। वादी वादगत कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित कराने का अधिकारी है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 विक्रय पत्र 18.01.1996, प्रदर्श–2 जमाबंदी रोही ग्राम घांघू तहसील व जिला चूरू खसरा [illegible] 123,124,48, प्रदर्श–3 जमाबंदी ग्राम घांघू खसरा नम्बर 48,122,123,1[illegible] [illegible] 20[illegible] प्र[illegible] 4 इंतिकाल, प्रदर्श 6ए आधार कार्ड 767365515503, प्रदर्श 5ए म[illegible] पहचान पत्र [illegible]C1251545 , प्रदर्श–7ए जनआधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 4754[illegible]47830, प्रदर्श 8ए राशन कार्ड, प्रदर्श –9ए जमाबंदी खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:07 IST
Reason: SelfAttested

650, 864 रोही ग्राम घांघू, प्रदर्श –10ए पासपोर्ट, प्रदर्श–11 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घांघू , रिपोर्ट पटवार हल्का घांघू व तहसीलदार चूरू से परिलक्षित होता है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होकर वादी जीवन अली पुत्र रमजान निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू का नाम बोल–चाल का नाम अब्दुल सतार होकर पिता व पता भी परिवर्तित हो गया है तथा अब्दुल सतार व जीवन अली दोनों एक ही नाम है । अतः वादी वादगत कृषि भूमि में राजस्व रिकार्ड में अपना सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम अंकित कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी का दावा वादी के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना व सहखातेदार व भाईयों के शपथ पत्र रिपोर्ट पटवारी, नायब तहसीलदार चूरू, तहसीलदार चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 122 तादादी 5.6403 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 तादादी 2.9719 हैक्टेयर, खसरा संख्या 124 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नं. 48 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 11.9002 हैक्टेयर रोही मौजा घांघू, पटवार हल्का घांघू , भू.अ.नि. क्षैत्र सिरसला की जमाबन्दी में अंकित नाम अब्दुल सतार पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी वार्ड संख्या 09 राजगढ के स्थान पर जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। अगर वादी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादी ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

इजलास : श्री उगमसिंह राजपुरोहित आर0ए0एस0

जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी बउम्र 74 वर्ष निवासी मदरसे के पास घांघू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर.टी.

मुकदमा नं. 25 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनसिंह अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है दावा वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 122 तादादी 5.6403 हैक्टेयर, खसरा संख्या 123 तादादी 2.9719 हैक्टेयर, खसरा संख्या 124 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नं. 48 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल तादादी 11.9002 हैक्टेयर रोही मौजा घांघू, पटवार हल्का घांघू , भू. अ.नि. क्षैत्र सिरसला की जमाबन्दी में अंकित नाम अब्दुल सतार पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी वार्ड संख्या 09 राजगढ के स्थान पर जीवन अली पुत्र रमजान जाति व्यौपारी निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें । अगर वादी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। यदि वादी ने नाम दुरूस्त करवाने में कोई तथ्य छुपाया हो तो वादी स्वयं जिम्मेवार होगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह जनवरी सन् 2023 को जारी की गई।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:07 IST
Reason: SelfAttested